

कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, बलरामपुर

संख्या 682 /जि0आ0अ0/व्यवस्थापन/2021-22/बलरामपुर/दिनांक 13 जनवरी 2021

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या 03/2021/2828 ई-2/तेरह-2020-02/2020 लखनऊ दिनांक 08 जनवरी, 2021(पताका-क) एव आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्रांक, 21017/दस-लाइसेंस-367/आबकारी नीति/2021-22 दिनांक: 09.01.2021 द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बलरामपुर में वर्ष 2021-22 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 15.01.2021 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2021 (मध्यान्ह 12.00 बजे) से दिनांक 22.01.2021 (मध्यान्ह 12.00 बजे) तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से प्रथम चरण में दिनांक 03.02.2021(मध्यान्ह 12.00 बजे) से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट www.balrampur.nic.in विभागीय वेबसाइट www.oldupexcise.in तथा ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

A
13.01.21

(राजेश त्रिपाठी)

जिला आबकारी अधिकारी
बलरामपुर

संख्या 682(0-2)/तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.सम्पादक, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान जनपद बलरामपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को बलरामपुर संस्करण में डी0ए0वी0पी0 दर पर प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 2.जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Q
13/1/21

(श्रुति)

जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
बलरामपुर

A

(राजेश त्रिपाठी)

जिला आबकारी अधिकारी
बलरामपुर